अभिभाषक पत्र प्रस्तुत है
पूर्वानुसार पत्रावली
दिनांक 5/4/18 को पेश हो।

5/4/18 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०/प्रा०पक्ष ०/R० CPC के प्रावधान दिनांक 23/4/18 को पेश हो।

23/4/18 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०/ कोई पेश नहीं
पत्रावली पूर्वानुसार डूंगरवाड़ा में
दिनांक 22/06/2018 को पेश हो।

22.6.18 पत्रावली कैम्प न्यायालय आपके द्वारा डूंगरवाड़ा में पेश हुई। मूल वाद खारिज किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली क्रमांक अनुसार रजिस्टर दर्ज नम्बर क्रमानुसार है। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़